न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.
अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या–17/2022

1.छिन्द्रपालसिंह पुत्र सन्तासिंह जाति कारीगर निवासी पोहड़का तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

बनाम

– अपीलान्ट

1. उप तहसीलदार राजस्व पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

–रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

निर्णय दिनांक–22.02.2023

अपीलांट छिन्द्रपाल सिंह पुत्र सन्तासिंह जाति कारीगर निवासी पोहड़का ने आदेश दिनांक 11.03.2022 क्रमाक सं. 22/146 बअदालत उप तहसीलदार राजस्व पल्लू जिला हनुमानगढ़ को अपास्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है–

1. यह कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.2022 क्रमांक 22/146 बअदालत उप तहसीलदार पल्लू की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं विधि की अवहेलना में पारित है, जो अपास्तनीय है।

2. यह कि मातहत अदालत ने रोही मौजा पोहड़का तहसील रावतसर के प.नं. 98/5 के किला नं. 3, 4/1, 7/1 व 8, 9, 11, 12 व 13, 14/1, 16/1 व 17, 25 की भूमि जो 4.567 हैक्टर भूमि है, पर अतिचार का अपीलान्ट को दोषी मानकर 50 गुणा शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी किये तथा उक्त तावानी की राशि 50 गुणा जमा ना कराने पर तीन माह का कारावास के आदेश जारी किये गये है, जो विधि की अवहेलना में पारित किये गये है, जो अपास्तनीय है।

3. यह कि न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी राजस्व रावतसर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.12.2019 प्रकरण सं0 07/2003 बअनवानी छिन्द्रपाल सिंह बनाम स्टेट में स्पष्ट तौर से उपरोक्त भूमि अपीलान्ट को आवंटित भूमि मानी है। तथा उक्त भूमि दिनांक 15.06.1989 को अपीलान्ट को टी.सी. आवंटित हुई तथा दिनांक 15.06.1989 से लेकर आज तक उक्त भूमि पर अपीलान्ट काबिज है। दिनांक 22.05.2000 को उक्त भूमि का अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में की गई है तथा अपीलान्ट ने पुख्ता आवंटन हेतु किस्ते जमा करवा दी। दिनांक 22.05.2000 को मजमें आम पोहड़का में अपीलान्ट को उक्त भूमि पुख्ता आवटित की गई है तथा श्रीमान अदालत एस.डी.ओ. कोर्ट रावतसर द्वारा उक्त आवंटन बहाल रखा है। मातहत अदालत ने अपीलान्ट के पक्ष में आवंटन दिनांक 22.05.2000 को बहाल रखे जाने के बावजुद गैर कानूनी कार्यवाही की है, जो विधि की स्पष्ट अवहेलना है, इसलिए अपीलाधीन आदेश अपास्तनीय है।

22/2/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

4. यह कि वाद भूमि का प्रथम किस्त अपीलान्ट द्वारा जमा खजाना राज हो चुकी है तथा अलॉटमेट कमेटी द्वारा मजमें आम पोहड़का में नियमानुसार उक्त रकबा चक पोहड़का बारानी प.न. 98/5 (559) किला नं. 2 ता 9 व 11 ता 25 कुल 23 बीघा भूमि अपीलान्ट के पक्ष में आंवटन किया गया, जिसकी प्रथम किस्त अपीलान्ट द्वारा जमा करवाई जा चुकी है। आवंटित भूमि पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर उसे बेदखल किये जाने, तावान लगाने व कारावास से दण्डित करने की मातहत अदालत की कार्यवाही गैर कानूनी है, जो अपास्तनीय है।

5. यह कि मातहत अदालत ने अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का कोई मौका नही दिया गया है तथा जवाब देही का समुचित का अवसर दिये बिना ही एकतरफा एवं मनमाने तौर पर कार्यवाही की गई है, जो अपास्तनीय है।

6. यह कि मातहत अदालत ने अपने से उच्च अदालत के निर्णय को नही मानकर कानूनी भूल की है तथा मातहत अदालत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही केवल पटवारी की रिर्पोट को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश गैर कानूनी ढंग से पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

7. यह कि अपील अपीलान्ट न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है एवं अन्दर मियाद है। तथा मुकर्रर न्याय शुल्क पर तहरीर कर पेश है। अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.2022 क्रमांक 22/146 बअदालत उप तहसीलदार पल्लू को अपास्त फरमाया जावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि उप तहसीलदार पल्लू द्वारा दिनांक 11.03.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की, जिसमें पोहड़का तहसील रावतसर के रोही मौजा के प0नं0 98/5 के किला नं0 3, 4,/1, 7/1 व 8, 9, 11, 12, 13, 14/1, 16/1, 17, 25 की कुल 4.567है0 भूमि पर अपीलांट को अतिचार का दोषी मानकर 50 गुणा शास्ती लगानें के आदेश जारी किये गये तथा उक्त तावानी की राशि 50 गुणा जमा ना करवानें पर तीन माह का कारावास के आदेश जारी किये गये, जो विधि की अवेलहना में पारित आदेश है। न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी रावतसर में छिन्द्रपाल बनाम स्टेट प्रकरण संख्या 07/2003 का निर्णय 27.12.2019 को हुआ जिसमें मुझे यह जमीन अलॉट कर दी गई। उक्त जमीन की मेरे द्वारा राशि की किस्तें भी जमा करवा दी गई है। अपीलांट को उक्त भूमि दिनांक 15.06.1989 को टी.सी. आंवटित हुई तथा दिनांक 15.06.1989 से लेकर आज तक उक्त भूमि पर अपीलांट काबिज है। दिनांक 22.05.2000 को उक्त भूमि का अलॉटमेंट कमेटी द्वारा अपीलांट के पक्ष में आंवटन की गई तथा अपीलांट ने पुख्ता आंवटन हेतु समस्त राशि की किस्ते जमा करवा दी। दिनांक 22.05.2000 को मजमें आम पोहड़का में अपीलांट को यह भूमि पुख्ता आंवटित की गई। दिनांक 27.05.2000 को रिव्यु से अपीलांट को आंवटित भूमि का आंवटन खारिज कर दिया गया। इसके विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ में अपील की गई जिसे माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ ने पत्रावली रिमाण्ड की गई। न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी रावतसर से ने दिनांक 27.12.2019 को उक्त आंवटन को बहाल रखा। जब सरकार ने स्वंय अलॉट की और सरकार ने ही अतिक्रमी माना, जो गलत

22/2/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

है। अपीलांट को उक्त कार्यवाही के संबध में कोई नोटिस नहीं दिया गया। अपीलांट उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है एंव पिछड़े वर्ग से संबध रखता है। अपीलांट ने उक्त भूमि पर अतिक्रमण के उद्देश्य से काश्त नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई सुनवाई किये आदेश पारित किया। अतः उप तहसीलदार पल्लू के आदेश क्रमांक 22/146 दिनांक 11.03.2022 को निरस्त किया जावे।

हमनें अधिवक्ता अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया एंव न्यायालय की विचाराधीन पत्रावली का अवलोकन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय के तलबशुदा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली देखने से ज्ञात होता है कि उक्त भूमि अपीलांट को आंवटित थी, जो विभिन्न प्रकरणों पश्चात दिनांक 27.12.2019 को न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलांट के पक्ष में निर्णित होकर आंवटन को बहाल रखा गया। उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में आराजी राज होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा–22 उपनिवेशन की कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा नोटिस के जवाब में अधीनस्थ न्यायालय में केवल सीमाज्ञान का अभाव जाहिर किया और आंवटन बाबत् कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा–22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पत्रावली का निस्तारण किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश बाबत् कोई गलती नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को रिकार्ड मय निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाया जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर दिनांक 22.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/2/23

(चंचल वर्मा R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)